



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 अग्रहायण, 1942 (श०)

संख्या- 661 राँची, सोमवार,

21 दिसम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

18 नवम्बर, 2020

संख्या-5/आरोप-1-88/2017-11527 (HRMS)-- श्री राजीव कुमार, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-गोड्डा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरहेट, साहेबगंज के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3247, दिनांक 22.06.2017 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री कुमार के विरुद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत शत-प्रतिशत लाभुकों का एफ0टी0ओ0 साईन करने के विभागीय निदेश के बावजूद 752 लाभुकों का एफ0टी0ओ0 साईन हेतु लम्बित रखना; उक्त योजना अंतर्गत शत-प्रतिशत आवासों का जियो टैगिंग नहीं करना; मनरेगा अंतर्गत न्यूनतम प्रतिदिन 100 मानव दिवस प्रति ग्राम पंचायत सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 16 मानव दिवस का सृजन करना; मात्र 69% मजदूरों का मजदूरी भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किये जाने; बरहेट प्रखंड में कुल 743 डोभा निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 371 पर ही कार्यान्वयन प्रारंभ करने; मात्र 41% जॉब कार्ड का सत्यापन करना; दिनांक 15.03.2017 तक सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने के लक्ष्य के विरुद्ध दिनांक 19.04.2017 तक एक भी आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण पूर्ण नहीं होने; वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं उससे पूर्व की सभी लम्बित योजनाओं को पूर्ण कर एम0आई0एस0 में क्लोज करने के विभागीय निदेश का उल्लंघन करने; मनरेगा अंतर्गत कुल भुगतेय राशि का 56% विलम्बित भुगतान के मामले तथा मनरेगा के

तहत सृजित परिसम्पत्तियों में मात्र 2% परिसम्पत्तियों का ही जियो टैगिंग करवाने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8342, दिनांक 24.07.2017 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-201(ii) दिनांक 18.06.2019 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में दिनांक 19.04.2017 तक जिला में सर्वाधिक 90.04% एफ0टी0ओ0 साईन किये जाने; 97.62% आवासों का जियो टैगिंग करवाने; कर्मियों की कमी के बावजूद मनरेगा अंतर्गत प्रति ग्राम पंचायत न्यूनतम प्रतिदिन 100 मानव दिवस सृजन हेतु लगातार प्रयास करने; दिनांक 26.08.2017 तक 88% मजदूरों का डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान किये जाने; दिनांक 26.08.2017 तक कुल 870 डोभा निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत डोभा निर्माण कार्य प्रारंभ करने; 92.86% जॉब कार्ड का सत्यापन; करने दिनांक 26.08.2017 तक एक आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण पूर्ण किये जाने एवं शेष 10 में कार्य चालू रहने; वित्तीय वर्ष 2016-17 की कुल 800 अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करवाने हेतु संबंधित कर्मियों को निदेशित करने; वित्तीय वर्ष 2017-18 में मात्र 2.98% विलम्बित भुगतान का मामला होने एवं लगातार प्रयास से मनरेगा अंतर्गत 40.37% परिसम्पत्तियों का जियो टैगिंग पूर्ण करवाने का उल्लेख किया गया है।

श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6369, दिनांक 07.08.2019 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गई। उक्त के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1603, दिनांक 03.06.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निम्नांकित मंतव्य दिया गया-

“श्री कुमार द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में कहना है कि मनरेगा योजना अंतर्गत Geo Tag एवं पुराने योजनाओं के Completion को छोड़कर अन्य सभी Parameters में प्रगति परिलक्षित होती है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में भी निर्धारित समयावधि के कुछ दिनों के अंतराल पर लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई है। आरोपों का संबंध सरकारी राशि के गबन एवं दुर्विनियोग से संबंधित नहीं है।”

श्री कुमार के विरुद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण तथा ग्रामीण विकास विभाग के मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि-

1. लम्बित योजनाओं को पूर्ण कर एम0आई0एस0 में क्लोज किये जाने के संबंध में की गई प्रगति संतोषजनक नहीं है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रगति प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं उसके पूर्व की कुल 900 योजनायें लम्बित थीं।

2. मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रखंड बरहेट में प्रतिदिन प्रति ग्राम पंचायत न्यूनतम 100 मानव दिवस के लक्ष्य के अनुसार कुल 8,03,000 मानव दिवस के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 1,64,763 मानव दिवस का सृजन किया गया है, जो कुल लक्ष्य का मात्र 20.05% है।

3. मनरेगा अंतर्गत कुल सृजित परिसम्पत्तियों में मात्र 46% परिसम्पत्तियों की ही जियो टैगिंग की गई है।

4. आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण कार्य में कुल लक्ष्य 11 के विरुद्ध मात्र 01 भवन का निर्माण कार्य दिनांक 28.08.2017 तक पूर्ण किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री कुमार के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAJEEV KUMAR 110051163099	श्री राजीव कुमार, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-गोड्डा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरहेट, साहेबगंज के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
